रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277234
CG-DL-E-17102026-277234

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 821] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948
No. 821] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि. 892(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 89 की उप-धारा (1) और (7) के साथ पठित धारा 113 की उप-धारा (2) के खंड (म) और (य) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (अधिकरण सदस्यों की अर्हता और निर्णय प्रस्तुत करना) नियम, 2026 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुप्रयोग** – ये नियम केंद्रीय सरकार द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा, 89 की उप धारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक अधिकरण पर लागू होंगे।

3. **परिभाषाएँ** — (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिकरण का वह सदस्य अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नियम (4) के उपनियम (2) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(ग) "सदस्य" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकरण के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 89 की उप धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण से अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए शब्द और वाक्यांश, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन जो अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका क्रमश: वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

4. **अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता—** (1) कोई व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे सामुद्रिक मामलों का ज्ञान न हो और सामुद्रिक क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव सहित प्रशासनिक क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव न हो।

(2) जहां अधिकरण में एक से अधिक व्यक्ति हो, केंद्रीय सरकार उनमें से किसी एक को अधिकरण का अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट कर सकेगी है।

5. अधिनिर्णय पारित करने की समय-सीमा- (1) अधिकरण, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ का, संदर्भ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित करके निपटान करेगी।

स्पष्टीकरण- इस उप नियम के प्रयोजनार्थ "संदर्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिस पर अधिनियम की धारा, 89 की उप धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किसी विवाद को अधिकरण को संदर्भित किया जाए।

(2) जब अधिकरण लिखित रूप से दर्ज किए गए कारणों से संतुष्ट हो कि उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि में अधिनिर्णय पारित करना संभव नहीं है, तो केंद्रीय सरकार इस संबंध में अधिकरण के अनुरोध पर, इस अवधि को अधिकतम 60 दिनों के लिए बढ़ा सकेगी।

(3) अधिकरण, उप- नियम (1) और (2) में संदर्भित अधिनिर्णय पारित करने के बाद यथाशीघ्र केंद्रीय सरकार को उसके कारणों के साथ लिखित में, जैसा भी मामला हो अपना अधिनिर्णय प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. एसवाई-19014/89/2026-एमजी]

वेंकटेसपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2026

G.S.R. 892(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (y) and (z) of sub-section (2) of section 113 read with sub-sections (1) and (7) of section 89 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Tribunal Members' Qualification and Submission of Award) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to every Tribunal constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 89 of the Merchant Shipping Act, 2025.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "Chairperson" means a member of the Tribunal designated as Chairperson by the Central Government under sub-rule (2) of rule 4;

(c) "member" means a person notified by the Central Government to be a member of the Tribunal;

(d) "Tribunal" means a Tribunal constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 89 of the Act.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Qualification for appointment as Member of Tribunal. — (1) A person shall not be qualified for appointment as a member of the Tribunal unless such person has knowledge of maritime matter and has an experience of not less than fifteen years in the field of administration including three years in the maritime sector.

(2) Where the Tribunal consists of more than one person, the Central Government may designate one of them as the Chairperson of the Tribunal.

5. Time-limit for passing the award. — (1) The Tribunal shall dispose of the reference made to it by the Central Government by passing an award within a period of ninety days from the date of reference.

Explanation. — For the purposes of this sub-rule, the "date of reference" means the date on which a dispute is referred by the Central Government to the Tribunal under sub-section (1) of section 89 of the Act.

(2) Where the Tribunal is satisfied for reasons to be recorded in writing that, it is not possible to pass the award within the period specified in sub-rule (1), the Central Government may, on a request made by the Tribunal in this behalf, extend such period by a further period not exceeding sixty days.

(3) The Tribunal shall, as soon as practicable after passing the award referred to in sub-rules (1) and (2), as the case may be, submit its award in writing, along with the reasons thereof, to the Central Government.

[F. No. SY-19014/89/2026-MG]

VENKATESAPATHY S., Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.